(1) Dr. HONEY SINHA
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub:- Auditing (Honours)
Paper:- II
SNS RKS College, SAHARSA

Bramu + Grl → Audio

B. Com Part, 1st

Sub:- Auditing (Hons)

Introduction

Technique of Audit
(अंकेक्षण की तकनीक)

प्रत्येक विषय के कुछ आधारभूत नियम होते हैं जो उस विषय के सिद्धान्त के रूप में जाने जाते हैं। इसी प्रकार अंकेक्षण के भी कुछ अपने सिद्धान्त होते हैं। अतः एक अंकेक्षक को अंकेक्षण के सिद्धान्तों की जानकारी के साथ-साथ उन प्रक्रियाओं द्वारा तकनीकों से भली-भाँति परिचित होना चाहिए, जिसके आधार पर वह लेखों की जाँच का कार्य सरलतापूर्वक पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है सिद्धान्त आधारभूत नियम होते हैं तथा प्रक्रिया के अंतर्गत वे समस्त कार्य सम्मिलित किये जाते हैं जो जाँच के क्रम में पूरे किये जाते हैं।

दूसरी ओर, तकनीक का आशय उन विधियों या तरीकों से है जिनकी सहायता से एक अंकेक्षक, अंकेक्षण का कार्य करते समय प्रमाण (Evidence) एकत्र करता है तथा इनका सत्यापन करता है। दूसरे शब्दों में, कार्य को पूरा करने की प्रक्रिया को ही तकनीक (प्रविधि) कहते हैं। उदाहरण के लिये, स्थायी सम्पत्ति का क्रय सदैव पूँजीगत व्यय माना जाता है। यह एक सिद्धान्त है। इसके संबंध में बीजक प्रपत्रों की प्राप्ति, आदेश तथा इसकी

विद्यमानता की जानकारी एक प्रक्रिया है तथा इनकी सत्यता प्रमाणित करना ही तकनीक है।

अंकेक्षण की मुख्य तकनीके निम्नांकित है :-

(1) भौतिक परीक्षण एवं गणना (Physical Examination and Counting),

(2) पुष्टिकरण (Confirmation),

(3) मूल्य प्रपत्रों और संविदाओं की जाँच (Examination of Original Documents and Contracts),

(4) पुनर्गणना (Recomputation),

(5) पुस्तपालन प्रणाली की पुनर्वीक्षण (Retracking Book-keeping Procedures),

(6) अवलोकन (Scanning),

(7) पूछताछ (Inquiry),

(8) सहायक लेखों का परीक्षण (Examination of Subsidiary Records),

(9) सम्बन्धित सूचनाओं में सहसम्बन्ध (Co-relation with related informations),

(3)

(10) परीक्षण जाँच (Test checking),

(11) नैत्यक जाँच (Routine checking),

(12) गहन जाँच (Detailed checking),

(13) प्रमाणन (Vouching)

* विस्तारपूर्वक हम इसको समझेंगे :-

(i) भौतिक परीक्षण एवं गणना (Physical examination and counting) ⇒ भौतिक परीक्षण का तात्पर्य सम्बन्धित सम्पत्ति को स्वयं देखकर उसकी विद्यमानता को प्रमाणित करना है। प्रत्येक संस्था में भौतिक सम्पत्तियाँ (जिन्हें देखा, छुआ या गिना जा सकता है) होती है; जैसे - स्टॉक, भवन, फर्नीचर, मशीन, विनियोग, नकद तथा प्रपत्र आदि।

(2) पुष्टिकरण (Confirmation) :- अंकेक्षक द्वारा किसी भी लेन-देन की सत्यता की जाँच हेतु सम्बन्धित व्यक्तियों से पूछताछ करना एवं सत्यापित करना ही पुष्टिकरण है।

(3) मूलप्रपत्रों और खातेबहियों की जाँच (Examination of Original Documents) ⇒ ऐसे प्रपत्र जिनके आधार पर संस्था के खाते तैयार किये जाते है, मूलप्रपत्र कहे जाते है। अंकेक्षक को सर्वप्रथम इन प्रपत्रों की वैधानिकता की जाँच करनी चाहिए।

(4) पुनर्गणना (Recomputation) – एक अंकेक्षक को चाहिए कि लेखापालों द्वारा की गयी गणनाओं की वह पुनः गणना कर ले; जैसे– ह्रास की गणना, कमीशन की गणना, छूट की गणना आदि।

(5) पुस्तपालन प्रणाली की पुनरखोज (Rechecking Book-keeping Procedures) अंकेक्षक को खाते-पुस्तकों की जाँच करते समय यह देखना चाहिए कि पुस्तपालन प्रणाली के सिद्धान्तों का सही-सही प्रयोग लेखापालों द्वारा किया गया है अथवा नहीं।

(6) अवलोकन (Scanning) अवलोकन का तात्पर्य आलोचनात्मक जाँच से होता है। कभी अंकेक्षक को ऐसे तथ्य भी दृष्टिगोचर होते है जो नहीं होने चाहिए। अतः ऐसे तथ्यों की गहन जाँच करनी चाहिए।

(7) पूछताछ (Enquiry) कभी-कभी ऐसी भी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि सही प्रमाण होने पर भी उनके संबंध में पूछताछ की आवश्यकता होती है। यह पूछताछ किसी भी संबंधित व्यक्ति से की जा सकती है। इससे प्रमाणों में उत्पन्न संदेह दूर होता है।

(8) सहायक लेखों का परीक्षण (Examination of Subsidiary Books) ⇒ कभी-कभी किसी तथ्य को सत्यापित करने के लिये सहायक पुस्तकों की जाँच आवश्यक प्रतीत होती है :- जैसे– रोकड़ पुस्तक में रोकड़ शेष के सत्यापन के लिये विक्रय बही, क्रय बही, बैंक पास

बुक इत्यादि का परीक्षण, सहायक लेखों का परीक्षण कहा जाएगा।

(9) सम्बन्धित सूचनाओं में सहसम्बन्ध (Co-relation amm Related Informations) ⇒ एक पुस्तक में लिखे गये लेखे किसी दूसरे खाते से संबंधित होते है। अतः तथ्यों का प्रमाण एकत्र करते समय दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर लेना चाहिए। इसमें शुद्धता प्रमाणित होती है।

(10) परीक्षण जाँच (Test checking) ⇒ परीक्षण जाँच के अंतर्गत सभी मदों की जाँच नहीं की जाती है बल्कि कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण मदों की जाँच इस मान्यता पर की जाती है कि यदि ये चुनी हुई मदें सही होगी तो अन्य मदें भी सही होगी।

(11) नैत्यक जाँच (Routine checking) ⇒ नैत्यक जाँच के अंतर्गत लेन-देन से संबंधित लेखों की गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिये लेन-देन के लेखों की जाँच, उनकी खतौनी तथा उनका आगे ले जाना इत्यादि की जाँच की जाती है। नैत्यक जाँच का कार्य क्लर्कीय लिपियों द्वारा किया जाता है। अतः इस जाँच पर भी अंकेक्षक को विशेष ध्यान देना चाहिए।

(12) गहन जाँच (Detailed checking) ⇒ गहन जाँच से आशय खास लेन-देनों का शुरू से अंत तक जाँच करने से है। इसमें चुने हुए लेन-देनों की जाँच

प्रारंभ से अंत तक की जाती है। इस जाँच का मुख्य उद्देश्य होता है, अंकेक्षण कार्य को यथाशीघ्र समाप्त करना। अतः जाँच के संबंध में भी अंकेक्षक को चौकना रहना चाहिए।

(13) प्रमाणन (Vouching) ⇒ सामान्य अर्थ में प्रमाणन का अर्थ किसी घटना को प्रमाणित (पुष्टि) करने से है किन्तु तकनीकी अर्थों में प्रमाणन, व्यावसायिक लेन-देनों के अधिकृत, वास्तविक एवं शुद्ध होने की पुष्टि करने वाले लिखित प्रमाणों की विस्तृत जाँच है। अतः एक अंकेक्षक को प्रत्येक प्रमाणक (Vouchers) का सही मिलान करना चाहिए तथा उसकी वैधता को सत्यापित करना चाहिए।

The end

Dr. Honey Singh
(Assistant Professor)
Dept. of Commerce
Sub:- Auditing (Hons)
Paper:- II
SNSRKS College, SAHARSA